उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध कौंसिलें

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ (उ०प्र० सरकार द्वारा स्थापित)

डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर (1 वर्षीय) प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के मानक

प्रास्पेक्ट्स



श्थापित -1926

फोन: 0522-2238846, 3302100, फैक्स: 0522-2236600

<u>ई</u>—मेल : inspection@upsmfac.org वेबसाइट : www.upsmfac.org

डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर (1 वर्षीय) :

इस हेतु स्टेट मेडिकल फैकल्टी से आवेदन पत्र प्राप्त कर कार्यवाही प्रारम्भ कर सकते हैं। स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा निरीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक्यूपंक्चर का महत्व जितना स्वीकारा गया है उतना महत्व सम्भवतः किसी अन्य पैरामेडिकल क्षेत्र को नहीं मिला है। आधुनिकीकरण के कारण, रोड साइड एक्सीडेन्ट्स, न्यूरोलाजिकल डिसआर्डर, पोस्ट आपरेटिव कम्पलीकेशनों आदि के फलस्वरूप मरीजों की पूर्ण रिकवरी बिना प्रशिक्षित एक्यूपंक्चर के सम्भव नहीं होती है। मरीजों की बीमारी का इलाज तो आधुनिकीकरण के कारण कम समय में होना सम्भव हो गया है। पर एक्यूपंक्चर एक ऐसी विधा है जो प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही की जा सकती है।

डिप्लोमा इन एक्यूपक्चर का कोर्स 1 वर्ष का है। जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को इस विषय से संबंधित व मानव शरीर से संबंधित सभी विषयों में सैद्धान्तिक व प्रायोगिक (Theoretical & Practical) समस्त ज्ञान उपलब्ध कराया जायेगा। इन छात्रों से अपेक्षित होगा कि वे 1 वर्ष के अन्त तक इतना ज्ञानार्जन कर लें कि किसी भी तरह को बीमारी से उत्पन्न शारीरिक विकृतियों से उत्पन्न किमयों को ठीक करने में सक्रिय योगदान कर सकें। इन्हें आधूनिकतम उपलब्ध मशीनो की भी जानकारी प्रदान कराई जायेगी। जिसमे कि वे अपने ज्ञान, अनुभव व मशीनो के सहयोग से मरीजों को लाभ पहुँचायेंगे। 'The government of India, Ministry of Health and Family Welfare, through its order dated November 25, 2003, recognised acupuncture as a 'mode of therapy' to be practiced only by qualified medical practitioner of any of five systems of Medicine (Allopathy, Homeopathy, Yoga and Naturopathy, Unani and Ayurveda) to which Dentistry has been included in 2014. Recognition of Acupuncture as an independent system of medicine will clear the road for setting up of proper courses in our country for treating the science. Acupuncture is a science of alleviating health problems and a process of prevention and cure of diseases. In acupuncture the good health is gained and maintained by regulating the positives and the negatives of the flow of the vital energy (Chi or Pran) and the body fluids. The affected organ (s) is set right to act in a harmony with the other organs and the whole body. Acupuncture also has a pain relieving or analgesic effects. Ultimately a homeostasis of body is achieved by the cure of the diseases and setting various organs and constituents of the body to act in synchronization to one anothAcupuncture is nature's health science built in our body. In acupuncture therapy you have to apply pressure on certain points located on palms and soles. The pressure given on points stimulates all the organs of the body to prevent disease and to maintain good health. This therapy also enables us to diagnose and cure the disease permanently. Main features of this course:

- You can become therapist.
- You can get job/service in any naturopathy hospital or alternative treatment therapy centre.
- You can consider Acupuncture Therapy as your profession.
- World health organization of Geneva has approved this system. You can get an Award / Appreciation Certificate if your work is excellent in this field.'

अर्ह आवेदक :--

संस्था / सोसाइटी / एन.जी.ओ. / ट्रस्ट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। समस्त परिसम्पत्तियाँ सम्बन्धित संस्था / एन.जी.ओ. / सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम होनी चाहिये।

स्कूल का स्टेटस –

शासकीय / निजी / शासकीय सहायता प्राप्त।

<u>आवेदन शुल्क —</u> (वापस नहीं होगा/अहस्तांतरणीय/एक बार ही जमा होगा)

1. ₹ 2,50,000+(18% GST) आवेदन-पत्र / रजिस्ट्रेशन / निरीक्षण शुल्क आन-लाईन www.upsmfac.org पर **आवेदन पत्र भरने के समय देय होगा)**

मानक -

भूमि :

प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि एवं चिकित्सालय की भूमि आवेदित संस्था सोसायटी / ट्रस्ट / कम्पनी के नाम होनी चाहिये।

प्रशिक्षण केन्द्र	प्रशिक्षण केन्द्र व अस्पताल की दूरी
भवन प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 6000 वर्गफुट एक विषय हेतु।	प्रशिक्षण केन्द्र व अस्पताल की दूरी 5 किमी. से अधिक न हो।
एक से अधिक विषय हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए 2000 वर्गफुट भवन अतिरिक्त।	दोनों एक ही आवेदक संस्था के नाम हों।

भवन प्रशिक्षण केन्द्र :

प्रशिक्षण भवन कुल निर्मित क्षेत्र	6000 वर्ग फुट
प्राचार्य कक्ष	200 वर्ग फुट
केन्द्र कार्यालय	200 वर्ग फुट
रिसेप्शन कक्ष	200 वर्ग फुट
कक्षा (२ कक्ष)	500 वर्ग फुट प्रति कक्ष (कुल 1000
	वर्गफुट)
प्रयोगशाला – 1	200 वर्ग फुट
(एनॉट्मी एवं फिजियॉलाजी)	
प्रयोगशाला–2	300 वर्ग फुट
(डैमो ओ०टी०)	
लाइब्रेरी	400 वर्ग फुट
कामन रूम (महिला)	150 वर्ग फुट
कामन रूम (पुरूष)	150 वर्ग फुट
जनसुविधायें (महिला / पुरूष)	100 वर्ग फुट
भंडार कक्ष / गोपनीय कक्ष	200 वर्ग फुट
अिंडटोरियम / कामन हाल	2000 वर्ग फुट
कम्प्यूटर कम अडियो, इन्टरनेट के साथ	300 वर्ग फुट
टायलेट एवं सर्कुलेशन एरिया	600 वर्ग फुट

एक्यूपंक्चर से सम्बन्धित सुविधायें :-

क्रम सं.	सुविधा	क्षेत्रफल
	चिकित्सालय	50 विस्तरों का अस्पताल व साज—सज्जा के अनुसार हो।
	कुल क्षेत्रफल	1000 वर्ग फुट
	– रोगियों के बैठने की सुविधा	
	– शौचालय	
	– पानी की व्यवस्था	
	– पंखे/कूलर की व्यवस्था	
	एक्यूपंक्चर कक्ष	
	5 एक्यूपंक्चर स्टीमुलेटर कम से कम होना अनिवार्य	
	लेजर एक्यूपंक्चर	
	इन्फ्ररेड / अल्ट्रासाउण्डथिरेपी	
	डाइग्नोस्टिक एक्यूग्राफ	
	डिस्पोसिबिल एक्यूपंक्चर निडिप्स	
	(प्रति मरीज 10 कम से कम)	
	अन्य	500 वर्ग फुट

कैम्पस –

अस्पताल एवं प्रशिक्षण केन्द्र एक ही कैम्पस में हो तो बेहतर है। यदि अलग–अलग हो तो एक ही मालियत में हो ओर उनके बीच की दूरी 5 कि.मी. से अधिक न हो।

<u>आस-पास का विकास -</u> सेन्टर के आस-पास का वातावरण ग्रहणीय हो, बहुत शोर-गुल न हो। वातावरण / पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।

खेल मैदान/जिम्नेजियम — अनिवार्य नहीं है, हो तो उचित होगा।

विद्युत व्यवस्था — नियमित पर्याप्त विद्युत कनेक्शन के अलावा समुचित शक्ति का जनरेटर

उपलब्ध होना चाहिये।

कैन्टीन / कैफेटेरिया - स्वयं का हो या Sublet किया गया हो।

<u>जल</u> पीने के पेय जल व जन सुविधाओं के लिये समुचित सुविधायें हों।

<u>आवागमन</u> आवागमन के समुचित साधन हो।

हास्टल — पैरामेडिकल प्रशिक्षण में हास्टल अनिवार्य नहीं है। यदि उपलब्ध कराया

जाता है तो छात्र हित में होगा।

अस्पताल के भवन से संबंधित विवरण :--

प्रशिक्षण केन्द्र से दूरी – 5 कि.मी. के अन्दर हो। भवन के अन्दर निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं हों।

क्रम सं.	क्षेत्र	क्षेत्रफल
	अस्पताल भवन	50 विस्तरों का अस्पताल व
		साज-सज्जा के अनुसार हो।
	रिसेप्शन	
	ओ०पी०डी०	80 मरीज प्रतिदिन / एकल में 25—30 मरीज प्रतिदिन
	अंतः रोगी कक्ष	10 बिस्तरों का
	आपरेशन थियेटर	
	मेजर	1
	माइनर	2
	स्टरलाइजेशन कक्ष	1
	आकस्मिक चिकित्सा कक्ष –	
	इमरजन्सी कक्ष	सुसज्जित हो
	इमरजेन्सी सुविधाएं	सुलभ हो
	एक्स-रे सुविधा	उपलब्ध हो (अनिवार्य नहीं)
	क्लीनिकल लेबोरेटरी	उपलब्ध हो

जनसुविधाएं (शौचालय)	उपलब्ध हो
विस्तर	उपलब्ध हो
फायर फाइटिंग इक्यूपमेन्ट	उपलब्ध हो
पेयजल	उपलब्ध हो

अस्पताल – विशेषज्ञता के अनुरूप स्थायी अथवा विजिटिंग चिकित्सक, इनका उपयोग पठन—पाठन में किया जा सकता है।

वाहन — यदि स्कूल व ट्रेनिंग सेन्टर अलग—अलग हैं तो छात्रों के आवागमन हेतु वाहन आवश्यक है।

वित्तीय संसाधन :

- आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति का आंकलन निरीक्षक करेंगे।
- भूमि–भवन के अलावा आवेदक के नाम फिक्सड डिपाजिट हो।
- दो वर्ष की बैलेन्स शीट अथवा बैंक एकाउन्ट भी प्रस्तुत करें।
- भूमि, भवन, आदि एसेट्स भी हों।

फैकल्टी

टीचिंग फैकल्टी - 30 छात्रों की भर्ती क्षमता तक के लिये।

क्र. सं.	फैकल्टी	योग्यता	संख्या
1.	प्राचार्य	एम.बी.बी.एस./एम.एस. चिकित्सक/ पैरामेडिकल विषय विशेष में पोस्ट ग्रेजुएट	1
2.	वरिष्ठ शिक्षक	उपरोक्तान्सार + 5 वर्ष अनुभव	1
3.	शिक्षक	डिप्लोमा या डिग्रीधारक	2
		कुल	4

फैकल्टी

प्रशासनिक

क्र.सं.	फैकल्टी	संख्या
1.	क्लर्क कम अकाउंटेन्ट	1
2.	कम्प्यूटर आपरेटर	1
3.	लाइब्रेरियन / स्टोर इंचार्ज	1
4.	चतुर्थ श्रेणी	2
5.	सफाई कर्मचारी	2
	कुल	7

फ्लो चार्ट :- कब, क्या, कैशे ?

(कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। उचित होगा कि मानकों का अध्ययन भली—भांति कर लें और यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें कि आपके पास मानकों के अनुसार सुविधायें उपलब्ध हैं या नहीं)

आवेदन करने के पूर्व आन—लाईन प्रास्पेक्टस का अध्ययन करें।

आवेदन पत्र आन लाईन www.upsmfac.org पर उपलब्ध है। पंजीकरण एवं निरीक्षण शुल्क ₹ 2,50,000+18% GST) (₹ 2,50,000+(18% GST) का शुल्क आन लाईन आवेदन पत्र भरने के समय देय होगा)

आन—लाईन आवेदन फार्म को पूर्ण रूप से भरकर समस्त सम्बन्धित दस्तावेज लगाकर फैकल्टी कार्यालय में जमा करें।

आवेदन पत्र की जांच फैकल्टी स्तर पर की जायेगी।

जाँच में उपयुक्त पाये जाने पर प्रस्तावित केन्द्र का निरीक्षण नियुक्त निरीक्षकों से कराया जायेगा।

निरीक्षण आख्या एकजीक्यूटिव / शासी समिति से अनुमोदित करायी जायेगी।

शासी समिति की अनुमति के उपरान्त द्वितीय निरीक्षण के पश्चात् ही केन्द्रों को छात्र भर्ती करने की अनुमति होगी।

शासी समिति द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क प्रतिवर्ष प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कार्यालय में जमा किया जायेगा।

इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट एवं इंडियन नर्सिंग कौंसिल एक्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी परीक्षक एवं पंजीकरण संस्था है।

छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया :-

प्रशिक्षण में प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा ही की जानी है। उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी का मात्र प्रतिनिधित्व रहेगा जिसमें कि प्रवेश प्रक्रिया में फैकल्टी के नियमों का पालन हो सके। उचित होगा कि 100 आवेदको के होने पर लिखित व मौखिक प्रवेश परीक्षा ले ली जाये। कम आवेदनों की दशा में केवल मौखिक प्रवेश परीक्षा से कार्य चलाया जा सकता है।

यदि प्रशिक्षण केन्द्र म अनेकों प्रशिक्षण हैं तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाये व मौखिक परीक्षा के समय छात्र प्रायोरिटी पूछ ली जाये व मेरिट के अनुसार प्रदान की जायेगी।

अर्हता :--

इन्टर विज्ञान वर्ग (जीव विज्ञान व गणित) के उत्तीर्ण छात्र अर्ह हैं।

फैकल्टी के अलावा अन्य गैर मान्यता प्रशिक्षण नहीं :-

प्रशिक्षण केन्द्रों पर उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के ही प्रशिक्षण चलाये जाने की अनुमित होगी। उ०प्र० शासन की अनुमित प्राप्त नहीं होने वाले प्रशिक्षणों को किसी भी दशा में अनुमित प्रदान करना संभव नहीं है। यदि संस्थायें फैकल्टी अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अनुमित प्राप्त नहीं होने वाले प्रशिक्षण चलाती हैं तो उन केन्द्रों से फैकल्टी अपने प्रशिक्षणों की मान्यता समाप्त कर देगी।

भर्ती क्षमता :--

प्रत्येक केन्द्र को सामान्यतः इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार पर अधिकतम 30 छात्र प्रति वर्ष प्रशिक्षण क्षमता हेतु मान्यता प्रदान की जा सकती है। इससे अधिक भर्ती क्षमता का निर्धारण संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं व क्षमता को देखते हुए किया जायेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की सुविधायें सुलभ हों।

प्रशिक्षण अवधि :--

डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर प्रशिक्षण की कुल अवधि 1 वर्ष की होगी।

आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले संलग्नक -

फोटोग्राफ:

- टीचिंग ब्लाक के सामने का, भवन के पीछे का, कक्षाओं की आन्तरिक, प्रधानाचार्य कक्ष, लाइब्रेरी, रिशेप्शन, प्रयोगशालाओं इत्यादि के फोटोग्राफ।
- अस्पताल के सामने का, पीछे का एवं आन्तरिक विभागों का, उपकरण / उपस्कर इत्यादि को दिखाते हुये फोटोग्राफ।
- सम्बन्धित प्रशिक्षण की विशेषज्ञता की उपलब्ध सुविधाओं को दिखलाते हुये अस्पताल के आन्तरिक फोटोग्राफ।

दस्तावेज :

- 4. संस्था (सोसायटी / ट्रस्ट / कम्पनी) का अद्यतन रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र।
- 5. संस्था के बाइलाज / मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएसन
- 6. प्रश्नगत पाठ्यक्रम का केन्द्र खोलने हेतु सोसा०/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा पारित रिजोल्यूशन/प्रस्ताव की प्रति।
- 7. संस्था की बैलेन्सशीट (पिछले 2 वर्षो की)
- 8. प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि (टीचिंग ब्लाक) एवं चिकित्सालय की भूमि के मालिकाना हक का प्रमाण—पत्र/प्रपत्र (संस्था का ही हो) जो राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी प्राधिकरण (तहसीलदार) से कम न हो से प्रमाणित प्रति/खतौनी की मूल प्रति अथवा उपनिबन्धक द्वारा सत्यापित विलेख की प्रति, यदि संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो और भूमि कृषि योग्य हो तो निबन्धन धारा 143 के अर्न्तगत भू—उपयोग परिवर्तन के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- 9. टीचिंग ब्लाक, हास्टल ब्लाक एवं चिकित्सालय का प्रमाणित मानचित्र (ब्लू प्रिन्ट)।
- 10. चिकित्सालय का ऑनलाईन पद्धति वाला पंजीयन प्रमाण-पत्र जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
- 11. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड (पी०सी०बी०) का प्रमाण—पत्र जिसमें बेड संख्या एवं वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
- 12. अग्नि शमन प्रमाण–पत्र (टीचिंग ब्लाक एवं चिकित्सालय) तीनों का ऑनलाईन पद्धति वाला स्थायी (पूर्णता कम्पलीशन) जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
- 13. शपथ पत्र/वचन पत्र को रू० 100/— के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर संलग्न करना आवश्यक है।

शपथ पत्र

आवेदन पत्र के साथ रूपये 100 / —के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ—पत्र (आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

सचिव.

उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी,

लखनऊ।

1.	में शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि मेरी संस्था (संस्था का नाम)
	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम व पता(कोर्स का नाम)
	डिप्लोमा/डिग्री पैरामेडिकल/नर्सिंग क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण उ०प्र० सरकार की अनुमति के बिना नही
	चलाया जा रहा है।

- 2. मैं बचन देता हूँ / देती हूँ कि भविष्य में भी उ०प्र० सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा पैरामेडिकल के पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य पाठ्यक्रम कोई प्रशिक्षण नहीं चलाऊँगा / चलाऊँगी।
- 3. यह कि प्रशिक्षण केन्द्र व उससे संबंधित अस्पताल, भूमि का मालिकाना हक मेरी संस्था का ही है। उक्त भूमि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/प्राधिकरण की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं है और नहीं अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।
- 4. यह कि उक्त प्रशिक्षण से संबंधित मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय/सक्षम न्यायालय अथवा न्यायिक अभिकरण में किसी भी प्रकार का दीवानी/फौजदारी वाद विचाराधीन/लम्बित नहीं है और ना ही किसी प्रकार का स्थगन आदेश ही प्राप्त हुआ है।
- 5. संस्था के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हे० भूमि है, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 89 में उल्लिखित सीमा 5.0586 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है। (और यदि है तो धारा 89 (3) के अर्न्तगत राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त अनुमित प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)।
- 6. मैं राज्य सरकार व उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशों व निर्णयों का पालन करूँगा / करूँगी। यदि संस्था द्वारा किसी भी दिशा—निर्देशों / मानकों का उल्लंघन किया जाता है / आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख / प्रपत्र फर्जी पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाये।

दिनाँक :-

सक्षम प्राधिकारी संस्था का नाम /पता